SALE OF GOODS ACT, 1930.

कीमत अभिनिश्चित करना (Ascertainment of Price) - (S.9) माल-विक्रय

अधिनियम की धारा-9 में कीमत निश्चित (fix) किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। धारा-9 कीमत निश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दो तरह से कीमत निश्चित किया जाना प्रावधानित करती है एक तरीका धारा-9(1) में दिया गया है जिसमें कीमत निश्चित किये जाने के लिए तीन प्रकार दिये गये हैं और दूसरा तरीका धारा 9(2) में दिया गया है जिसमें धारा 9(1) के अनुसार कीमत निश्चित न हो पाने की दशा में युक्तियुक्त कीमत निश्चित किये जाने का प्रावधान है।

धारा-9(1) के अनुसार कीमत निश्चित किये जाने के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं:-

(a) स्वयं संविदा द्वारा या उसके द्वारा निश्चित करने के लिए छोड़ दी जाए- (आपस में decide करलो), अथवा,

(b) पक्षकारों द्वारा नियत रीति (Manner - तरीका) के अनुसार, या

(c) पक्षकारों के मध्य व्यवहार चर्चा (course of dealing) द्वारा।

धारा-9(2) के अनुसार - यदि कीमत धारा 9(1) में अनुसार अवधारित नहीं की गई है तो क्रेता, विक्रेता को युक्तियुक्त कीमत देगा। युक्तियुक्त कीमत क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करेगा।

उदाहरण- यदि करार के अन्तर्गत कीमत निगम के द्वारा निर्धारित करने का उपबन्ध है और निगम द्वारा कीमत विनिश्चित की जाती है तो इस प्रकार विनिश्चित कीमत क्रेता द्वारा देय होगी। विक्रेता इस कीमत को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।

Case - M.S. Madhusadanan Vs. Kerala Kamudi Pvt. Ltd. -

उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि - जहाँ विक्रय की संविदा में पक्षकारों द्वारा भविष्य मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए छोड़ दिया गया है, वहां अंशों का अन्तरण का अनिश्चितता के आधार पर शून्य नहीं होगा।

मूल्यांकन पर विक्रय का करार (Agreement to sell at valuation) - (Sec-10) -

माल-विक्रय अधिनियम की धारा - 10 के अनुसार -

(i) "जहाँ कि इस शर्त पर माल का विक्रय करने का करार है कि कीमत किसी तीसरे व्यक्ति के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जानी है और वहाँ ऐसा तीसरा व्यक्ति यदि मूल्यांकन नहीं करता है, तो वह करार तद्द्वारा शून्य हो जायेगा।" परन्तु यदि वह माल या उसका कोई भाग क्रेता को परिदान कर दिया गया हो और उसके द्वारा विनियोजित (Appropriated) कर दिया गया हो, तो वह उसके लिये युक्तियुक्त (Reasonable) कीमत देगा।

(ii) जहाँ कि किसी पक्षकार के कसूर की वजह से ऐसा तीसरा व्यक्ति मूल्यांकन करने से निवारित (Prevented) हो जाता है, वहाँ जिस पक्षकार का कसूर नहीं है वह उस पक्षकार के विरुद्ध जो कसूरवार है, नुकसानी (Damages) के लिये वाद चला सकता है।